(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1979

सा० का० नि० 512.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, समूह क और समूह ख (इंजीनियरी और वैज्ञानिक) पद भर्ती नियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, समूह क और समूह ख (इंजीनियरी और वैज्ञानिक) पद भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1979 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, समूह क और समूह ख (इंजीनियरी और वैज्ञानिक) पद भर्ती नियम, 1966 की अनुसूची के शीर्ष,—

(i) '(क) इंजीनियरी पद' के नीचे—(1) संयुक्त निदेशक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक '1क' को '1ख' के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ;

(ii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित क्रम संख्यांक 1ख के सामने, स्तम्भ 2 में, अंक "2" के स्थान पर अंक "3" रखा जाएगा ;

(iii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित क्रम संख्यांक 1ख के पहले निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
"1क अपर निदेशक	1 (एक)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अलिपिकवर्गीय	2000-125/2-2500 रु०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा	प्रोन्नति : केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे के संयुक्त निदेशक (वैज्ञानिक) और संयुक्त निदेशक (इंजीनियरी) में से, जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद तीन वर्ष सेवा कर ली है । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पकालिक संविदा सहित) ऐसे इंजीनियर, जो केन्द्रीय सरकार (केन्द्रीय जल आयोग सहित), राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन सदृश पद धारण किए हुए हैं या जिन्होंने 1800-2250 रुपए के वेतनमान वाले पदों या समतुल्य पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा कर ली है/अर्द्ध सरकारी संगठनों/पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों, अनुसंधान एवं विकास संगठनों, प्रतिष्ठित निजी फर्मों के उपयुक्त स्तर के अधिकारी, विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों के आचार्य, जिन्हें द्रव चालिकी, द्रवी चालित संरचनाओं/जल संसाधनों/तटीय इंजीनियरी के क्षेत्र में और द्रव चालिकी अनुसंधान के अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य का अनुभव हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. सचिव, सिंचाई विभाग—सदस्य 3. अध्यक्ष/सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग—सदस्य	चयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।"

(2) (ख) वैज्ञानिक पद,—(i) मुख्य अनुसंधान अधिकारी (श्रेणी 1) से संबंधित क्रम संख्यांक "1" को "1क" के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ।

(ii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित क्रम संख्यांक 1क के पहले निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :

1	2	3	4	5	6	7
"1. संयुक्त निदेशक	1 (एक)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित	1800-100-2000-125/2-2250 रुपए	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : मुख्य अनुसंधान अधिकारी (श्रेणी 1) (वैज्ञानिक), जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद तीन वर्ष सेवा कर ली है ।	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. सचिव/संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग—सदस्य 3. अध्यक्ष/सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग—सदस्य	चयन करते समय लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।"

[सं० 38/79 एफ०सं० 39/24/77-प्रशा० एक स्थापना]
मुकेश चन्द, अवर सचिव

G.S.R. 512.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Water and Power Research Station, Poona, Group A and Group B (Engineering & Scientific) Posts Recruitment Rules, 1966, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Water and Power Research Station, Poona, Group A and Group B (Engineering and Scientific) Posts Recruitment (Second Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Water and Power Research Station, Poona, Group A and Group B (Engineering and Scientific) Posts Recruitment Rules, 1966—under heading:

(1) (A) Enginering Posts:— (i) the serial number '1A' releating to the post of Joint Director shall be renumbered as serial number '1B';

(ii) against serial number 1B, so-renumbered in column 2 for the figure "2" the figure "3" shall be substituted;

(iii) before serial number 1B so-renumbered, the following serial number and entries thereto shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7
"1A Additional Director	1 (one)	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2000-125/2-2500	Selection	Not applicable.	Not applicable

8	9	10	12	12	13
Not applicable	Two years	By promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract).	Promotion : From a field consisting of Joint Director (Scientific) and Joint Director (Engineering), Central Water and Power Reseach Station, Pune with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Transfer on deputation (including short-term contract). Engineers holding analogous posts with three years regular service in posts carrying a pay scale of Rs. 1800-2250 or equivalent under the Central Government (including Central Water Commission), State Governments or Union Territories/officers of appropriate status in Semi-Government organisations, Public Sector Undertakings, R&D Organisations, Private concerns of standing, Professors of Universities and Affiliated Colleges with experience in applied research in the field of Hydraulics / Hydraulic Structures/Water Resources/ Coastal Engineering or other areas of Hydraulic Research. (Period of deputation ordinarily not to exceed three years).	Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman 2. Secretary Department of Irrigation—Member 3. Chairman/Member, Central Water Commission—Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making selection

(2)(B) Scientific Posts:— (i) the serial number '1' relating to the post of Chief Research Officer (Grade I) shall be renumbered as '1A'; (ii) before serial numbr 1A, so-renumbered, the following serial number and entries thereto sh-ll be inserted; namely:—

"1. Joint Director	1 (one)	General Central Service Group 'A' Gazetted	Rs. 1800-100-2000-125/2-2250.	Selection	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By promotion	Promotion : Chief Research Officer (Gr. I) (Scientific) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman 2. Secretary/Joint Secretary, Department of Irrigation—Member. 3. Chairman/Member, Central Water Commission—Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making selection."

[No. 38/79/F No. 39/24/77-Adm. I/Estt. II]
MUKESH CHAND, Under Secy.